Vol III Issue V June 2013
Impact Factor : 0.2105
ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief
H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue. 5, June. 2013
ISSN:-2230-7850
Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

" सूचना का अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र"

आशीष श्रीवास्तव, अर्चना काला

सहायक प्राध्यापक विधि
एम.बी. खालसा लॉ कॉलेज, इन्दौर (म. प्र.)

सारांशः

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बडा सफलतम लोकतंत्र है, जहाँ प्रत्येक 5 वें वर्ष में लोकसभा व विधान सभा के चुनाव सम्पन्न कराये जाते हैं, जो अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है, जहाँ जनता अपने चुने हुए जन प्रतिनिधियों का पांचवे वर्ष में मूल्यांकन/परीक्षण कर उसे पास या ना पास करती है व सही उपयुक्त जन प्रतिनिधि को चुनती है ।

प्रस्तावना :

भारत जैसे विशाल राष्ट्र में नव निर्माण के अनेकों कार्यक्रम चलते हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार के आरोप लोकसभा/विधान सभा में लगते रहते हैं । इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिये अथक प्रयास किये गये किन्तु वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके ।

न्यायिक सक्रीयताः–

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर कई न्यायिक निर्णय दिये जिसमें प्रमुख रुप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) पर न्यायिक सक्रीयता व जवाबदेही निभाते हुए प्रभुदत्त विरूद्ध भारत संघ AIR 1983 SC में निर्धारित किया कि जानने का अधिकार एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रेस की आजादी में निहित है किन्तु प्रशासन समाज के हित में इस अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगा सकती है,

इसी प्रकार से मतदाता को यह अधिकार है कि वह अपने चुनाव के उम्मीदवार के बारे में जाने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया विरूद्ध लोकतांत्रिक सुधार संघ (AIR 2002 SC) में यह अभिनिर्धारित किया कि चुनाव के प्रत्याशी अनिवार्यतः 'शपथ पत्र पर निम्न जानकारी प्रत्याशी की शिक्षा, सम्पत्ति, जवाबदारियॉं एवं आपराधिक घटनाओं/मुकदमों की जानकारी आदि मतदाता को देवें । इस पर से चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर इसे अनिवार्य घोषित किया कि उम्मीदवार नामांकन कार्ड के साथ उक्त जानकारी का श्शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे । क्योंकि यह मतदाता का मूलभूत अधिकार है किवह प्रत्याशी के बारे में जानकारी प्राप्त करे ।

भारतीय जीवन निगम विरूद्ध मनुभाई डी• शाह 1992 SC में न्यायालय ने निश्चित किया कि बीमा पालिसी धारक को यह अधिकार है कि वह बीमा कम्पनी पालिसी धारकों के साथ किसी प्रकार से धोखाधडी तो नहीं कर रही है । यह जानने का अधिकार बीमा धारक को है ।

उपरोक्त न्यायालयीन निर्णयों के परिपेक्ष में तथा लोकतांत्रिक प्रकिया के अतंर्गत प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार है कि वह लोक सेवकों के कार्यों या सरकार के कियाकलापों की जानकारी लेवें । इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर लागू किया ।

सूचना के अधिकार का अर्थः

भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005(RTI Act 2005) के अनुच्छेद–2(जे) के अनुसार सूचना के अधिकार का अर्थ पहुॅंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य खुलापन, पारदर्षिता एवं प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है ।

इस अधिनियम कि धारा 6 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 'शासन प्रशासन से वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित 'शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

अगर लोक प्राधिकारी वांछित जानकारी न देने अथवा विलम्ब करने कि अवस्था में संबंधित लोक प्राधिकारी पर निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर रूपये 250/– प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड देने का प्रावधान रखा गया है ।

इस अधिनियम से प्रेस की आजादी पर भी व्यापक प्रभाव पडा है । इससे पूर्व में अधिकारीगण यह कह कर सूचना देने से इन्कार कर देते थे कि यह आफिसीय सिक्रेट एक्ट के अंतर्गत है । जिसके कारण सूचना देना संभव नहीं । प्रेस को सूचना प्राप्त करना एक प्रजातंत्र को मजबूत बनाना व जनता तक जनता की बात पहुंचाना है । जिसमें सरकार/अधिकारीगण बाधा बनते थे । वह अब नहीं बन सकेगें ।

अधिनियम की धारा 8 व 9 में प्रावधान किया गया है कि कौन–कौन सी सूचनाऐं राष्ट्रीय महत्व सुरक्षा, व्यापार आदि से संबंधित है । इन धाराओं में उल्लेखित परिस्थितियों की सूचनाऐं गोपनीय रखी जावें । अर्थात सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि राष्ट्रीय महत्व की सूचना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार से संबंधित सूचना पूर्णतः संरक्षित सूचना होगी ।

वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने दिनांक 01/05/2008 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत व्यवस्था दी थी । खुली

Title : " सूचना का अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र"
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850]आशीष श्रीवास्तव, अर्चना काला yr:2013 vol:3 iss:5

वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत राजनैतिक पार्टी भी अपने वित्तीय संसधानों कि जानकारी देने के लिये बाध्य हैं जब कि दूसरी ओर आयकर विभाग का कहना है कि आयकर रिटर्न गोपनीय दस्तावेज है व आर• टी• आई• से मुक्त है । साथ ही चुनाव आयोग भी आर• टी• आई• के प्रावधानों से सहमत नहीं है ।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है कि सूचना का अधिकार लागू होने से राजनैतिक पार्टियों को भी अपनी वित्तीय स्थिती की जानकारी जनता को देना होगी । इसी प्रकार से न्यायाधीश व अधिवक्ता के संबंध व कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी त्ज् ।बज के माध्यम से ली जा सकती है ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री के• सी• बालकष्णन ने दिनांक 02/05/2008 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में अपने बयान में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1997 में सभी न्यायाधीशों कि बैठक में निर्णय लिया था कि न्यायाधीशगण अपनी संपत्तियों की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को देवेंगें, जो सार्वजनिक की जा सकती है । इस प्रकार से आर• टी• आई• एक्ट आपने आप में पारदर्शिता एवं जावबदारी वाला अधिनियम है ।

उपसंहारः—

भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम स्वीडन ने 1766 में सूचना का अधिकार अपनी जनता को दिया जो कालान्तर में सन् 1949 में संविधान का हिस्सा बना दिया गया, इसी प्रकार से आस्ट्रेलिया ने 1982 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1966 में लागू किया गया । हाल के वर्षों में कई विकासशील राष्ट्रों ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना के अधिकार का अधिनियम बहुउपयोगी साबित होगा, तथा हो रहा है । शोधार्थियों के लिए यह विषय शोध का हो सकता है तथा इस पर श्शोध किया जाना चाहिए ।

संदर्भित ग्रन्थ सूची —

1• अधिनियम : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2• जय नारायण पाण्डेय : भारत का संविधान
3• डी• डी• बसु : भारत का संविधान
4• एआईआर : 1882, 1992, 2002
5• टाईम्स ऑफ इंडिया : समाचार पत्र
6• प्रतियोगिता दर्पण : नवम्बर 2012/521

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net